

दिनांक 29.08.2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन के अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-37B/OPRMC-III for the year 2026-33 कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक-2217(E) दिनांक-01.04.2026, पत्रांक-2360(E) दिनांक-09.04.2026 एवं पत्रांक-5625(E) दिनांक-17.08.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री अभिषेक पलासिया, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक-13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक-2689 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2860(अनु०) दिनांक-22.08.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक-22.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या : पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) Under Package No.-37B/OPRMC-III for the year 2026-33
- 2.2 योजना मद : 3054
- 2.3 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, डेहरी-ऑन-सोन
- 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹13214.17 लाख।
विभागीय ज्ञापांक-3247(एस०) दिनांक-12.05.2026
- 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹15022.01 लाख।
मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-1706 (अनु०), दिनांक-23.05.2026
- 2.6 ECV/परिमाण विपत्र की राशि : ₹13037.95595 लाख।
- 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि : 84 (Eighty-four) Months.
- 2.8 निविदा की प्रक्रिया : ई-टेंडरिंग (MBD)
- 2.9 निविदा प्राप्ति की तिथि : 03.07.2026
- 2.10 प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण : पुनर्निविदा नहीं है।

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित 03 (तीन) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :-

- (1) M/s Dinesh Kumar Sharma
Const. Pvt. Ltd.
- (3) M/s Vinod Kumar Jain

(2) M/s Niranjana Sharma



4. उपरोक्त कार्य की निविदा में कुल 03 (तीन) निविदाकार यथा- (i) M/s Dinesh Kumar Sharma Const. Pvt. Ltd. (ii) M/s Niranjana Sharma एवं (iii) M/s Vinod Kumar Jain. द्वारा भाग लिया गया।

दिनांक-13.08.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा 03 (तीन) निविदाकारों में से 01 (एक) निविदाकार यथा-(i) M/s Vinod Kumar Jain को तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 02 (दो) निविदाकार यथा- (i) M/s Dinesh Kumar Sharma Const. Pvt. Ltd. एवं (ii) M/s Niranjana Sharma को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक-2689 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरुद्ध विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) M/s Vinod Kumar Jain का पत्रांक-VKJ/OPRMC/017 दिनांक-16.08.2026 के द्वारा परिवाद/अभ्यावेदन/ आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2860(अनु०) दिनांक-22.08.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक-22.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

4. **परिवाद:-**उपरोक्त तकनीकी बीड में असफल 01 (एक) निविदाकार M/s Vinod Kumar Jain का पत्रांक-VKJ/OPRMC/017 दिनांक-16.08.2026 द्वारा विषयांकित कार्य के तकनीकी बीड मूल्यांकन पर परिवाद प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	परिवादी निविदाकार का नाम	परिवाद के बिन्दु	परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय	परिवाद समिति की अनुशंसा
1.	Vinod Kumar Jain	An advocate welfare stamp is not governed by the Indian Stamp Act, 1899. Instead, it is mandated by specific State Advocates' Welfare Fund Acts or the central Advocates' Welfare Fund Act, 2001, and it is legally required to be affixed on a Vakalatnama, not strictly on an ordinary affidavit to make the affidavit valid. The welfare stamp is a statutory requirement meant to be pasted and cancelled on a Vakalatnama (the authorization document given to a lawyer) to fund the welfare and social security of advocates. Whereas, the validity of an affidavit itself falls under the Code of Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), rather than advocate welfare legislation. Since the submitted Affidavit is not a Vakalatnama mandated to be affixed under specific State Advocates' Welfare Fund Acts or the central Advocates' Welfare Fund Act, 2001, rather it is a	निविदाकार द्वारा निविदा के साथ Uploaded शपथ-पत्र में वांछित शपथ-पत्र पर Additional Rs. 25/- का Advocate Welfare stamp affix नहीं किया गया है। विभागीय पत्रांक-3608 (E) दिनांक-22.05.20 द्वारा किये गए प्रावधान It is mandatory to attached Rs. 25/- Advocate welfare stamp on affidavit for advocate welfare fund. तदनुसार MBD NIT की कंडिका-28 पर निदिष्ट उक्त	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत

क्र० सं०	परिवादी निविदाकार का नाम	परिवाद के बिन्दु	परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय	परिवाद समिति की अनुशंसा
		document falls under the Code of Civil Procedure (CPC), the Oaths Act, and the general stamp duty requirements for affidavits under the Indian Stamp Act, 1899 (or state amendments), hence Advocate Welfare Stamp is not required to be affixed on the Affidavit. Therefore, the Contractor's/Bidder's Bid cannot be considered as "non-responsive" on this ground. (ii) 01 Work supporting: certificate issued by Engineer-in-Charge not attached. submitted The Contractor/ Bidder in said respect has (i) Work Orders for projects where work has commenced recently but no billing has taken place, hence the Engineer-in-Charge's work-supporting certificate could not be issued; (ii) Work supporting certificate issued by Engineer-in-Charge (iii) pass orders of latest Running Account Bills works under progress The documents submitted in respect of aforementioned (i) and (ii) are not in dispute. Regarding 01 work for which the Engineer-in-Charge's certificate could not be obtained due to unavoidable reasons, the submitted Running Account Bills in respect of aforementioned (iii) fulfill the requirement for which the supporting certificate from the Engineer-in-Charge was sought. Since the Engineer-in-Charge's certificate has already been	वांछित अहर्ता का अनुपालन नहीं किया गया है, अतः निविदाकार की आपत्ती को अमान्य किया जाता है।	

क्र० सं०	परिवादी निविदाकार का नाम	परिवाद के बिन्दु	परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय	परिवाद समिति की अनुशंसा
		submitted for the majority of the works, non-submission of 01 work certificates due to unavoidable reasons cannot be grounds for declaring the bid non-responsive. Therefore, the Contractor's/Bidder's Bid should not be considered as " responsive" on this ground. non- 3 Therefore on the above representations made by the Contractor/Bidder, it is with utmost respect and humility in the interest of public, competitiveness and justice requested to please be kind to issue directions for review of the matter and consider the Contractor's/Bidder's Bids responsive for opening of its Financial Bids.		

5. परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को यथावत् रखने की अनुशंसा की जाती है।





8. परिवाद समिति का निर्णय :-

(i) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा (1) M/s Vinod Kumar Jain का पत्रांक-VKJ/OPRMC/017 दिनांक-16.08.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य करने का निर्णय लिया गया।

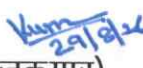
(ii) 03 (तीन) निविदाकारों में से 01 (एक) निविदाकार यथा-(i) M/s Vinod Kumar Jain को तकनीकी बीड में असफल तथा शेष 02 (दो) निविदाकार यथा- (i) M/s Dinesh Kumar Sharma Const. Pvt. Ltd. एवं (ii) M/s Niranjana Sharm को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया।

(iii) उपभागीय ज्ञापांक-2689 दिनांक-13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक-13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को यथावत रखा जाय।

(iv) तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निदेश मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया गया।

(v) मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।

 (राजकुमार) मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (राजेश कुमार गुप्ता) मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (अभिषेक पलासिया) संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (उमा कान्त रजक) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
--	---	--	--

ज्ञापांक: प्र0-7/निविदा-03-123/2026 5999(E)

पटना, दिनांक 29/8/2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, दक्षिण, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।